न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	कैलाश चन्द बनाम सीताराम मु.नं. 44/22	

19.11.24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विधान सभा उपचुनाव-2024 के निर्वाचन कार्य हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय दौसा पधारे। अतः निर्वाचन कार्य में व्यस्तता के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.12.24 को पेश हो।

17-12-24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21.1.25 को पेश हो।

21.1.25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.2.25 को पेश हो।

18-2-25 पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु हाईकोर्ट जयपुर पधारे। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.3.25 को पेश हो।

18/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते ~~बहस~~ आदेश प्रा.फा. ए.ए. दिनांक 25/3/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

25/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है।

—जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला—दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज कैलाश चन्द बनाम सीताराम मु.नं.– ५५/२२ किस्म – T.I.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
44/22	23.06.22	25.03.25

बउनवान

1. कैलाशचंद्र पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल, निवासी ग्राम पाखर प्रथम, तहसील मण्डावर जिला दौसा, हाल निवासी 1174/47 प्रताप नगर, लोहाखान अजमेर।

..प्रार्थी

बनाम

1. सीताराम पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल, निवासी ग्राम पाखर–1, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. जगदीश पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल, निवासी ग्राम पाखर–1, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. बाबूलाल पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल, निवासी ग्राम पाखर–1, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर, दौसा।
5. एस.बी.आई बैंक शाखा महवा जरिये मैनेजर।
6. बी.ओ.बी बैंक शाखा मण्डावर जरिये मैनेजर।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री प्रीतम चन्द सैनी, श्री जगदीश प्रसाद मीना।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक ने इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 1528 रकबा 0.36 हैक्टे., 1530 रकबा 0.01 हैक्टे., 1532 रकबा 0.51 हैक्टे., 1533 रकबा 0.13 हैक्टे., 1534 रकबा 0.33 हैक्टे., 1616 रकबा 0.54 हैक्टे., 1618 रकबा 0.42 हैक्टे. वाकेग्राम पाखर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्राथी व अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का आज दिवस तक जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख अथवा न्यायालय के द्वारा बंटवारा नहीं हुआ है, आज भी भूमि राजस्व रेकार्ड में शामलाती दर्ज चली आ रही है। राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ल. 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी की हिस्से खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी पर दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न की जाने लगी तो प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि आप चाहे तो उपरोक्त खसरों का बंटवारा कर लेवें एवं मेरे हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी गयी कि हम तुझको तेरी खातेदारी की आराजी से बेदखल करके रहेंगे तथा राजस्व रेकार्ड में भी सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

आराजी स्वयं के नाम दर्ज करवा लेंगे। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज होकर आज दिवस तक काश्त करता चला आ रहा है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ल. 3 ने स्वयं अथवा अपने नौकर चाकर ऐजेन्ट असाईनीज रिश्तेदार के जरिये प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत उत्पन्न की अथवा उसको उसके खातेदारी हिस्से कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर आराजी को खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि वे प्रार्थी के हिस्से व कब्जा काश्त की आराजी मे ना तो स्वंय ना ही अपने एजेन्ट, असाईनिज, कर्मचारी, नौकर चाकर इत्यादि के जरिए किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न नही करें, ना ही करावे तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा दौराने वाद बगैर बंटवारा कराये वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से को रहन बय मुन्तकिल नही करे।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 23.06.22 को इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 1528, 1530, 1532, 1533, 1534, 1616, 1618 वाके ग्राम पाखर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार, ग्राम पाखर तहसील मण्डावर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित वादग्रस्त आराजीयात में, यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थीगण के द्वारा भूमि के किसी हिस्से का बेचान कर दिया जाता है अथवा किसी हिस्से विशेष पर अप्रार्थीगण काबिज हो जाते हैं तो मौके की स्थिति में बदलाव हो जाएगा जिससे वाद बहुलता बढेगी तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पाखर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात खसरा सं. 1528, 1530, 1532, 1533, 1534, 1616, 1618 कुल किता 7 कुल रकवा 2.30 हैक्टे. के सम्बन्ध में, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.22 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट **(Confirm)** किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 25.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)